[17/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 2404]

परिशिष्ट - "अ"

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2404 प्रश्नांश "क" की जानकारी

.....0.....

शासकीय महाविद्यालय उन्हेल में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की विषयवार संख्या:-

स.क्र.	विषय	विद्यार्थियों की संख्या
1	राजनीति विज्ञान	176
2	समाजशास्त्र	155
3	इतिहास	107
4	हिन्दी	130
5	अंग्रेजी	05
6	भूगोल	35
7	अर्थशास्त्र	32

21.2.23

डॉ. राकेश श्रीवास्तव
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (निर्माण)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–''ब''

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2404 के प्रश्नांश ''ख'' का परिशिष्ट

न्यायालय कलेक्टर, जिला उज्जैन, म०प्र०

प्रकरण क्रमांक– 53/अ–20(4) /2019–20

आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय उन्हेल तहसील नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.),

.... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन तर्फे तहसीलदार तहसील नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.)

........अनावेदक

आदेश

(दिनांक– 28/01/2020 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि, आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन, भोपाल द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 751/नि./18 दिनांक 25.07.2018 से मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 23–1/2016/38–2 दिनांक 25.06.2018 के द्वारा उज्जैन जिले में तीन (उन्हेल, झारडा, कायथा) नवीन महाविघालयों की स्थापना किये जाने से प्रत्येक महाविघालय के भवन निर्माण हेतु शासकीय मापदण्ड अनुसार कम से कम 04.00 हे. भूमि आबंटन की आवश्यकता निर्धारित किये जाने के परिपेक्ष्य में प्राचार्य, शासकीय महाविधालय, उन्हेल द्वारा शासकीय महाविघालय, उन्हेल के भवन निर्माण हेतु ग्राम पिपल्याडाबी तहसील नागदा जिला उज्जैन स्थित शासकीय भूमि सर्वे नबंर 216 रकबा 3.52 हे. एवं 217 रकबा 0.03 मे से 0.02 हे. भूमि के आवंटन की मांग किये जाने हेतु चयनित भूमि का खसरा, नक्शा प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत आवेदन–पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग नागदा जिला उज्जैन द्वारा विधिवत जॉच कर मौका स्थल का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागदा जिला उज्जैन ने अतिरिक्त तहसीलदार, टप्पा उन्हेंल, जिला उज्जैन से प्रतिवेदन प्राप्त कर अपने प्रतिवेदन में अभिव्यक्त किया है कि, भूमि आबंटन के संबंध में नियमानुसार पेपर प्रकाशन करवाया गया। निर्धारित समयसीमा में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई प्रकरण में ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम पिपल्याडाबी में स्थित भूमि सर्वे नबंर 216 रकबा 3.52 हे. , सर्वे नबंर 217 रकबा 0.030 हे. पर ग्राम आबादी एंव गौशाला हेतु उक्त भूमि सुरक्षित रखें जावे इस संबंधी में अपनी आपत्ति पेश की है। संबंधित पटवारी ग्राम की रिर्पोट अनुसार उक्त भूमि मद चरनोई मद की होने से संबंधित ग्राम पंचायत की आपत्ति खारीज की गई। स्थानीय नगरीय निकाय से अभिमत प्राप्त नहीं। उक्त बिन्दु पर भूमि नगरीय निकाय की नही है तथा जो भूमि महाविघालय को आबंटित होना है, वह भूमि ग्राम पंचायत क्षेत्र की होने से अभिमत की आवश्यकता नहीं होना बताया हैं । उक्त भूमि के आवंटन से ग्राम का चरनोई प्रभावित नहीं होगा। शासकीय महाविधालय उन्हेल हेतु ग्राम पिपल्याडावी तहसील नागदा जिला उज्जैन

निरन्तर...2

Scanned by CamScanner

प्रकरण क्रमांक- 53/अ-20(4) /2019-20

(2)

में स्थित भूमि सर्वे नबंर 216 रकबा 3.52 हे., सर्वे नबंर 217 रकबा 0.02 हे. (मद नाईयत गोचर) भूमि आबंटित की जाने का संबंधित विभाग को आबंटित किया जाने की अनुशंसा की है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागदा तहसील नागदा जिला उज्जैन के प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पिपल्याडाबी तहसील नागदा जिला उज्जैन में स्थित भूमि सर्वे नबंर 216 रकबा 3.52 हे.(गोचर) , सर्वे नबंर 217 रकबा 0.030 हे. में से रकबा 0.02 हे. भूमि आयुक्त , उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर से प्रार्चाय शासकीय महाविघालय, उन्हेल जिला उज्जैन (म.प्र.), शासकीय महाविघालय, उन्हेल के भवन निर्माण हेतु म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता (संशोधित) अधिनियम, 2018 की धारा 237(3) में निहित प्रावधान अनुसार खसरे में दर्ज मद से पृथक करते हुवे म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र 4 (1) की कंडिका 36(संशोधन) में निहित प्रावधानानुसार इस शर्त पर हस्तांतरित की जाती है :-

1- विभाग उक्त आवंटित भूमि का उपयोग 06 माह में नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।

2- शासन द्वारा हस्तांतरित की जा रही भूमि का उद्देश्य परिवर्तन होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा और हस्तांतरित भूमि शासन में वेष्ठित हो जावेगी ।

(क्षितिज सिंघल)
अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृष्ठांकन-क्रमांक-अपर कले0रीडर/2020/131 उज्जैन, दिनांक-28/01/2020

प्रतिलिपिः-

1- प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सुचनार्थ प्रेषित। ।
2- आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सादर सुचनार्थ प्रेषित।
3- सचिव, राजस्व विभाग, म0प्र0 शासन,मंत्रालय भोपाल की ओर सुचनार्थ प्रेषित।
4- आयुक्त, उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर सुचनार्थ प्रेषित।
5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागदा तहसील नागदा जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6- तहसीलदार, नजूल, कलेक्टोरेट उज्जैन की ओर सुचनार्थ प्रेषित।
7- तहसीलदार, तहसील नागदा जिला उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु ।
8- प्राचार्य, शासकीय महाविघालय उन्हेल जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

24.2.23
(डॉ0 राकेश श्रीवास्तव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म0प्र0